संख्या- 12 / 2019 /4190/चार-2018-137(वि)/2016 टीसी

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय ,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2019

विषयः- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में दिनांक 30 जनवरी, 2019 से 16 फरवरी, 2019 तक कला अभिरूचि पाठ्यक्रम की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1253/उ0प्र0सं0नि-2(2)/2009 टीसी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ में दिनांक 30 जनवरी, 2019 से 16 फरवरी, 2019 तक कला अभिरूचि पाठ्यक्रम हेतु रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 75,000/- (रूपये पचहत्तर हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की धनराशि को निम्न एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1 (1) /69 दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1 (1) /69 दिनांक 10-06-2011 में दी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(2) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त आहरण उसी दशा में किया जायेगा जब तक कि यह सुनिश्चित न कर लिया जाय कि इस हेतु यदि पूर्व में कोई अग्रिम दिया गया है तो उसका समायोजनहो चुका है।

(4) अग्रिम का समायोजन प्रत्येक दशा में विलम्बतम् दिनांक 31-03-2019 से पूर्व कर लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय-03-अधिष्ठान -42-अन्य व्यय मद , राज्य संग्रहालय , लखनऊ (अनुदान संख्या-92) में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1 (1) /69 दिनांक 10-06-2011 द्वारा प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12 / 2019 /4190 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ।
3 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
5 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/